FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

	बनाम	

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
06/5/25	वकील....अपील अनु....... पीठासीन अधिकारी.....अन्य राजकार्य में होने से प्रकरण वास्ते सुनवाई / अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक.........10/6/25.........को पुर्वादेशानुसार पेश हो।		
10/06/2025.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट व अधिवक्ता अपीलान्ट्स अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलान्टगण दिनांक 14/07/2021 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, जनहित में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत की अभिशंषा पर बिलानाम भूमि को राजस्व विभाग के आदेश के क्रम में चारागाह में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति दिनांक 20 जनवरी, 2007 को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन तथा पैरोकार सरकार के तर्क पर मनन किया जाकर, प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है। संक्षेप में अपील में बिलानाम से चारागाह में परिवर्तित भूमि पर अपीलान्टगण द्वारा कब्जे के आधार पर अपना		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार जताते हुए उक्त किस्म परिवर्तन पर आक्षेप किया गया है। उल्लेखनीय है कि (अभिलेख अनुसार) ग्राम पंचायत मोडी, पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम सभा के कोरम प्रस्ताव संख्या -4 ~~की~~ दिनांक 21/06/2005 की अभिशंषानुरूप सरपंच, ग्राम पंचायत मोडी के पत्र दिनांक 04/07/2005 व तहसीलदार, गोगुन्दा के पत्र दिनांक 16/01/2006 के आधार पर राजस्व (ग्रुप - 3) विभाग के सहमति पत्र दिनांक 11/01/2007 के अनुक्रम में तहसील गोगुन्दा के मौजा वडी की कुल आराजी किता 44 रकबा 63.0200 है० भूमि की किस्म बिलानाम से खारिज कर चारागाह में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2007 से प्रदत्त की गई। उपरोक्त संदर्भ में अपीलान्टगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने से वृहद जनउपयोगार्थ चारागाह हेतु आरक्षित भूमि हेतु किए गए अपीलाधीन आदेश दि० 20/01/2007 में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं तथा 5 1/2 वर्ष विलम्ब से, बगैर संतोषप्रद कारण, प्रस्तुत अपील को पोषणीय नहीं पाते हुए इसमें गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को खुले इजलास लिखकर, सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 10/06/2025 (...) संभागीय आयुक्त, उदयपुर संभाग, उदयपुर (राज.)	